

**न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक**  
(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

24/2019

जाकिर हुसैन राज टाकीज के पीछे टोंक जिला- टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू0अ0) टोंक जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय**

**दिनांक 28-8-2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू0अ0) टोंक में दिनांक 9-5-2019 को उपरिथत होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार सूचना चाही गई थी -

1-यह है कि तहसील टोंक के पटवार मण्डल शर्की टोंक खसरा नम्बर 5400 से 5450 तक की खातेदारी व नक्शा ट्रेस की एक एक प्रति उपलब्ध करावें।

2-यह है कि दिनांक 18-1-2003 व दिनांक 5-8-2003 में पदस्थापित (अधिकारी/कर्मचारी) तहसीलदार (भू0अ0) टोंक व हल्का पटवारी कस्बा शर्की टोंक के पदस्थापन व स्थानान्तरण आदेश की एक-एक प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू0अ0) टोंक के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू0अ0) टोंक को पत्र क्रमांक 673 दिनांक 22-7-2019 से जवाब तलब किया गया। तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपरिथत नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू0अ0) टोंक ने पत्र क्रमांक 7379 दिनांक 27-8-2019 से जवाब भिजवाया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 7196 दिनांक 21-8-2019 से आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है। आवेदक को भिजवाई गई सूचना की फोटो प्रतियाँ भी संलग्न की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना 3 माह के पश्चात प्रेषित की गई है तथा बिन्दु सं0 2 की सूचना में पूर्ण सूचना नहीं दी गई है। अतः अपील में अंकित पदस्थापित (अधिकारी/कर्मचारी) तहसीलदार (भू0अ0) टोंक व हल्का पटवारी कस्बा शर्की टोंक के पदस्थापन व स्थानान्तरण आदेश की एक-एक प्रति निर्णय प्रति की अवधि से 15 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू0अ0) टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(आर.सी.ढेनवाल)  
जिला कलेक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी टोंक  
जिला कलेक्टर  
टोंक